लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स रूद्रा माइनिंग एलएलपी, प्रो0–श्री विश्वजीत कुमार, पिता–श्री विशेश्वर प्रसाद, गाँव–परेओ, पोस्ट–बिहटा, जिला–पटना द्वारा रोहतास सोन–14 बालूघाट, मौजा–मकरैन, प्रखंड–डेहरी जिला–रोहतास के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 19.06.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय डेहरी, जिला–रोहतास में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2086/2022, dt. 11.01.2023 के आलोक में श्री संजय कुमार सिन्हा, अपर समहर्त्ता, रोहतास (जिला पदाधिकारी, रोहतास के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 19.06.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय डेहरी, डेहरी, जिला–रोहतास में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (**अनुलग्नक–1**)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक **समाचार पत्रों यथा सोन वर्षा वाणी, टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 16.05.2023** को प्रकाशित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री सैन कुमार, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पूर्णियाँ द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संषोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देष्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री रवि रंजन कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा । वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (330 नं0)का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sutainable Sand Mining Management

Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/ मंतव्य निम्नवतः है:–

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री राजीव यादव, वार्ड पर्षद्, ग्राम–मकरैन, जिला–रोहतास।	इनके द्वारा बताया गया कि बालू का परिवहन ट्रेक्टर से करने पर सड़क पर बालू गिरने से दूर्घटना होती है। बालू का परिवहन ढ़ककर किया जाय तथा नियमित रूप से सड़क पर गिरने वाले बालू को सफाइ की जाय तथा वृक्षारोपण किया जाय। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा। संवेदक द्वारा बालू घाट से नजदीक सड़क पर गिरे बालू को हटाया जायेगा। 330 पेड़ लगाने का प्रस्ताव है। इसके अलावे भी ग्रामीणों की मांग करने पर उनको मुफ्त में पैधा उपलब्ध कराया जायेगा।
2.	श्री योगेन्द्र प्रसाद, ग्राम–मकरैन, वार्ड नं0 –01, जिला–रोहतास।	इनके द्वारा सुझाव दिया कि बालू खनन के दौरान सभी मजदूरों का लेबर कार्ड बनवाया जाय एव उनके अराम के लिए सेड बनाया जाय साथ–ही वृक्षारोपण किया जाय। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया कि लेबर कार्ड बनवाया जायेगा तथा कार्य–स्थल पर मजदूरों के लिए एक सेड का निर्माण कराया जायेगा।
3.	श्री विजय कुमार सिंह, ग्राम–मकरैन, जिला–रोहतास।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि सड़क पर बालू बहुत गिरता है। उसकी सफाई किया जाय। नदी घाट के नजदीक होने वाले कटाव को रोका जाय तथा नदी के दोनों छोड़ पर एक चौथाई जगह छोड़कर खनन कार्य किया जाय। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा। संवेदक द्वारा बालू घाट से नजदीक सड़क पर गिरे बालू को नियमित रूप से हटाया जायेगा तथा बालू खनन का कार्य नियमानुसार ही किया जायेगा।

4.	श्रा सजय कुमार ासह, ग्राम–मकरैन, जिला–रोहतास।	इनक द्वारा बताया गया ाक बालू खनन स रोजगार मिलता है तथा सुझाव दिया गया कि बालू परिवहन ढ़ककर किया जाय। सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण किया जाय।
5.	श्री संजय कुमार पासवान, ग्राम–मकरैन, जिला–रोहतास।	इनके द्वारा बताया गया कि बालू घाट पर काम करने वाले लोगों के लिए शेड होना चाहिए तथा बालू परिवहन का परिवहन इस ढंग से किया जाय कि धूल–कण नहीं उड़े। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि मजदूरों के लिए कार्य–स्थल पर सेड का निर्माण किया जायेगा। बालू का परिवहन तिरपाल से ढककर किया जायेगा तथा ओभर–लोडिंग नहीं किया जायेगा। सड़क पर पानी का छिड़काव किया जायेगा।
6.	श्री राजू सिंह, ग्राम–मकरैन, जिला–रोहतास।	इनके द्वरा बताया गया कि बालू खनन से सबको फायदा होता है। सरकार को राजस्व आता है। लेकिन बालू खनन क्षेत्र के गाँव का विकास नहीं होता है। विकास के लिए क्या किया जायेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधर पर रोजगार प्रदान किया जायेगा। अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार का सृजन होगा। खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए जिला खनिज फाउंडेशन में संचित राशि से इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय–जल इत्यादि पर खर्च करने का प्रावधान है। खनन परियोजना के कुल लागत का 2% राशि इसमें संचित होता है। मिशन कायाकल्प के तहत् खनन प्रभावित क्षेत्र का विकास किया जाता है।
7.	श्री संजय कुमार, ग्राम–न्यू मकरैन, जिला–रोहतास।	बालू खनन कार्य के कारण गाँव में पानी की समस्या उत्पन्न होती है। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन कार्य 03 मीटर तक ही या जल सतह से ऊपर किया जाय। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया कि खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक ही किया जायेगा।
8.	श्री ओम प्रकाष चंद्रवंषी, ग्राम–मकरैन, जिला–रोहतास।	इनके द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा बताया गया कि बालू खनन से सभी को फायदा होता है। यहीं पर रोजगार मिलेगा और लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

सुनवाई के क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डिहरी, अंचल अधिकारी, डिहरी तथा जिला खनन पदाधिकारी के प्रतिनिधि श्री संजीव रंजन भी उपस्थित अपने–अपने विचार रखे :–

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने चर्चा में भाग लेते हुए बालु परिवहन के दौरान आम तौर होने वाली समस्याओं यथा वायु प्रदुषण, ध्वनी प्रदुषण एवं ट्रेफिंक जाम इत्यादि के बिन्दु पर ध्यान आकृष्ट करते हुए इस बात पर बल प्रदान किया गया कि खनन के दौरान एवं खनन् उपरान्त सरकार के द्वारा निर्धारित मापदण्ड का कड़ाई से अनुपालन एवं सतत् निगरानी रखा जाना आवश्यक है।

चर्चा के क्रम में उपस्थित श्री विजय कुमार सिंह के द्वारा खनन क्षेत्र में कटाव के बिन्दु पर उठाए गए प्रश्न पर परियोजना के तरफ से स्पष्ट किया गया है कि नदी तट से हटकर ही खनन का कार्य किया जाएगा। ऐसे में कटाव की समस्या नहीं होगी। फिर भी इस संदर्भ में अध्यक्ष द्वारा उपस्थित अंचलाधिकारी को इसे संज्ञान में लेकर जाँच करने का निदेश दिया गया।

चर्चा के क्रम में जिला खनन् कार्यालय के तरफ से उपस्थित श्री संजीव रंजन, खान निरीक्षण, पदाधिकारी ने खनन् कार्य हेतु सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंडो की संक्षिप्त चर्चा करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप ही कार्रवाई अनुमान्य है, जिसे सुनिश्चित कराया जाएगा।

चर्चा के क्रम में अध्यक्ष के द्वारा मुख्य रूप से परियोजना तथा परियोजना के आलोक में सरकार के द्वारा इस 'जन सुनवाई' के पीछे के निहित उदेश्य पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया गया कि संतुलित विकास सरकार का मुख्य लक्ष्य है। सरकार दृढ़ संकलप्ति है कि विकास से पर्यावरण संतुलन एवं आम–जनो की स्वास्थ्य आदि सुविधाओ पर प्रतिकूल असर नहीं पड़े और इसी उदेश्य से सरकार के द्वारा इस जन सुनवाई का प्रावधान किया गया है। सरकार इस बात को मानती है कि आम जन अपने हितो को बेहतर समझते है और किसी परियोजना के वास्तविक परिचालन हेतु आम जन का पक्ष जानना, उनकी चिन्ताओं/शंकाओं का समाधान करना, उनके सुझावों का नियमानुसार परियोजना परिचालन के क्रम में अंगीकृत करना ही इस सुनवाई का लक्ष्य है।

उनके द्वारा रेखांकित किया गया कि परियोजना के सरकार के मानको/निर्धारित मापदंडों का अनुपालन तथा सतत् अनुश्रवण किया जाना परियोजना के द्वारा अपेक्षित है। उनके द्वारा इस बात को पुनः रेखांकित किया गया कि खनन् कार्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों यथा घाटों के दोनो तटो पर निर्धारित क्षेत्र को छोड़कर ही खनन् करने, खनन् के क्रम में नियमानुसार सतह से तीन मीटर की अधिसीमा का अनुपालन करने, खनन् क्षेत्र से मुख्य सड़क पर बालु के परिचालन हेतु Haul रोड का निर्माण करने, परिचालन के क्रम में संभावित वायु–प्रदुषण को रोकने हेतु नियमानुसार स्थल पर लगातार पानी छिड़काव करने, परिचालन स्थल के दोनो ओर अवस्थित पौधो/फसलों में सरकार के नियमानुसार पानी छिड़काव करने, पर्यावरण सतुलन हेतु खनन् क्षेत्र के आसपास वृक्षारोपन करने, श्रमिको को कार्य करने हेतु पर्याप्त प्रशिक्षण देने एवं कार्य स्थल पर मानक के अनुरूप अनुमान्य सुविधा उपलब्ध कराने, नियमानुसार पर्यावरण अंकेक्षण एवं निगरानी रखने, नियमानुसार परिचालन में व्यवहृत किये जाने वाले वाहनों को परिवहन विभाग के निदेशानुसार अनुमान्य क्षमतानुसार ही परिचालन आदि किये जाने की आवश्यकता को पुनः रेखांकित करते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि परियोजना के संचालक, प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं सभी सक्षम प्राधिकार सरकारी मापदण्डों का दृढतापूर्वक अनुपालन करेंगे तथा अनुपालन की सतत् निगरानी एवं अंकेक्षण भी सुनिश्चित करेंगे।

परियोजना स्थल से विद्यालय एवं अस्पताल की दूरी के दृष्टिगत अध्यक्ष द्वारा अनुरोध किया गया कि वे विद्यालय में CER (Corporate Environmental Responsibility) के अन्तर्गत अपने स्तर पर AIR-PURIFIER लगाने की संभावना पर विचार करे।

अध्यक्ष द्वारा चर्चा के क्रम में परियोजना में पर्यावरण की रक्षा के लिए की जाने वाली शमनकारी उपयोग हेतु पूंजी लागत एवं आवर्ती लागत की कर्णांकित राशि में बढ़ोतरी करने की गुंजाइश देखते हुए इसमे वृद्धि करने हेतु विचार करने का सुझाव दिया गया।

सुनवाई में उपस्थित प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि एवं परियोजना के पर्यावरणीय, सलाहकार के द्वारा आश्वस्त किया गया कि कि परियोजना को सरकार के निर्धारित मापदण्डों/नियमो के अनुसार ही संचालित होगी और आम जनों को इससे किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई/असुविधा नहीं होगी।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्,पटना

अपर समहर्त्ता
रोहतास

मेसर्स रूद्रा माइनिंग एलएलपी, प्रो०-श्री विश्वजीत कुमार, पिता-श्री विशेश्वर प्रसाद द्वारा रोहतास सोन-14 बालू घाट, मौजा-मकरैन, अंचल-डिहरी, जिला-रोहतास में आयोजित लोक-सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

स्थान- अंचल कार्यालय डेहरी, डेहरी, दिनांकः 19.06.2023 समय-11:00 A.M.

क्र.स.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Sanjay Kumar Singh	ADM (DGRO)	[signature] 19/06/2023
2.	[illegible]	[illegible]	[signature] 19/6/23
3.	पुरुषोत्तम त्रिवेदी	BDO, Dehri	[signature] 19/06/23
4.	संजीव रंजन	M.I Rohtas	[signature] 19/6/23
5.	ANAMIKA KUMARI	CIRCLE OFFICER DEHRI	[signature] 19.6.2K23
6.	SNEHA	REVENUE OFFICER DEHRI	[signature] 19/6/23
7.	Ravi Ranjan Kr.	Env. Consultant Rian Enviro Pvt. Ltd	[signature] 19/06/2023
8.	[illegible]	[illegible]	[signature]
9.	मनोज कुमार सिंह	मकराईन	[signature]
10.	विजय कुमार सिंह	मकराईन	विजय कुमार सिंह
11.	रघु सिंह	मकराईन वार्ड पार्षद 11	[signature]
12.	योगेन्द्र प्रसाद	मकराईन वार्ड पार्षद वार्ड 12	[signature]
13.	महेन्द्र सिंह	मकराईन	महेन्द्र सिंह
14.	रमेश सिंह	मकराईन	रमेश सिंह
15.	सुरेश कुमार सिंह	मकराईन	सुरेश कुमार सिंह
16.	[illegible] चौधरी	मकराईन	[illegible] चौधरी
17.	विजय कुमार	मकराईन	विजय कुमार
18.	मदन चौधरी	मकराईन	मदन चौधरी

19.	प्रदीप कुमार	मकराईन	प्रदीप कुमार
20.	प्रमेन्द्र कुमार	मकराईन	[illegible]
21.	विनोद सिंह	मकराईन	विनोद सिंह
22.	हिरालाल सिंह	मकराईन	हिरालाल सिंह
23.	राजकुमार सिंह	मकराईन	राजकुमार सिंह
24.	हरमेश सिंह	मकराईन	हरमेश सिंह
25.	ओमदत्त सिंह	मकराईन	ओमदत्त सिंह
26.	बैकुण्ठ सिंह	मकराईन	बैकुण्ठ सिंह
27.	मनोज कुमार	मकराईन	मनोज कुमार
28.	शशी कान्त सिंह	मकराईन	शशी कान्त सिंह
29.	बैजू सिंह	मकराईन	बैजू सिंह
30.	अभय सिंह	मकराईन	अभय सिंह
31.	आजीत कुमार गुप्ता	मकराईन	आजीत कुमार गुप्ता
32.	सोनू कुमार	मकराईन	सोनू कुमार
33.	संतोष कुमार	मकराईन	संतोष कुमार
34.	सतेन्द्र सिंह		सतेन्द्र सिंह
35.	जनेश्वर सिंह		जनेश्वर सिंह
36.	विपुल सिंह	मकराईन	विपुल सिंह
37.	भरत सिंह	मकराईन	भरत सिंह
38.	Upendra Singh	Makrain	Upendra Singh
39.	मदन कुमार सिंह	मकराईन	मदन कुमार सिंह
40.	सत्येन्द्र सिंह	मकराईन	सत्येन्द्र सिंह

41.	राज कुमार	मकराईन	राजकुमार
42.	राम करन सिंह	गंगौली	राम करन सिंह
43.	पिंटु सिंह	मकराईन	पिंटु सिंह
44.	राजीव प्रकाश	मकराईन	राजीव प्रकाश
45.	सुमंगल राम	मकराईन	सुमंगल राम
46.	विजय चौधरी	मकराईन	विजय चौधरी
47.	चन्द्रमणि शर्मा	मकराईन	चन्द्रमणि शर्मा
48.	Sanjay Kr. Paswan	Makrain	[illegible]
49.	अलोक प्र० सिंह	कौंर्ध	[illegible]
50.	[illegible]	मकरपुर	[illegible]
51.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
52.	संजय कुमार	मकराईन	संजय कुमार

53. Ankit Singh Makrain Ankit
54. Prince Kumar Singh Makrain Prince Kumar Singh
55. अभिषेक कुमार मकराईन
56. पंकज कुमार [illegible]
57. चन्द्रमणि सिंह मकराईन Pankaj Kr.
58. ओमप्रकाश सिंह मकराईन Chandramani Singh
59.
60. संतोष